संख्या- 6/3301/बयालिस-2014-174(विविध)/2012

प्रेषक,

अनिल कुमार,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

खेल अनुभाग **लखनऊ : दिनांक : मार्च, 2015**

विषय- सैफई जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल सैफई में एथलेटिक्स स्टेडियम के अतिरिक्त कार्य एवं फर्नीचर व किचेन की साज-सज्जा के सम्बन्ध में संशोधित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या- जी- 448/नि0 एथलेटिक्स स्टे0/2014-15, दिनांक 29.08.2014 एवं शासनादेश संख्या- 1779/बयालिस-2012-174(विविध)/2012, दिनांक 05.11.2012 तथा शासनादेश संख्या- 539/बयालिस-2013-174(विविध)/2012, दिनांक 30.03.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद इटावा में अन्तर्राष्ट्रीय क्रीड़ा संकुल सैफई में एथलेटिक्स स्टेडियम के अतिरिक्त कार्य एवं फर्नीचर व किचेन की साज-सज्जा हेतु पूर्व में अनुमोदित लागत रू0 1436.81 लाख के सापेक्ष व्यय वित्त समिति द्वारा अनुमोदित पुनरीक्षित लागत रू0 1317.88 लाख (रूपया तेरह करोड़ सत्राह लाख अट्ठासी हजार मात्र) की पुनरीक्षित प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा शासनादेश संख्या- 539/बयालिस-2013-174(विविध)/2012, दिनांक 30.03.2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम के डिपाजिट खाते में जमा धनराशि रू0 13,36,81000/- में से प्रथम किश्त रू0 527.15 लाख के सापेक्ष अवशेष रू0 427.15 लाख को अवमुक्त किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1)- अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(2)- प्रायोजना अन्तर्गत समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(3)- प्रायोजना अन्तर्गत प्रोप्राइटरी प्रकृति के मदों में कृय सुसंगत वित्तीय नियमों के अन्तर्गत न्यूनतम आवश्यकता एवं उच्च गुणवत्ता के आधार पर किया जाय। जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, खेल एवं कार्यदायी संस्था का होगा।

(4)- प्रायोजना में कोई उल्लेखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढ़ाना, कार्यों के आकार/क्षेत्रफल में वृद्धि एवं अन्य उच्च विशिष्टियां इस्तेमान करना इत्यादि, सक्षम स्तर का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने से पूर्व विस्तृत डिजाईन/ड्राईंग बनाते समय प्रायोजना लागत में 10 प्रतिशत से अधिक वृद्धि होती है तो इस स्थिति में पुन: प्रायोजना प्रस्ताव पर तीन माह के अन्दर सक्षम स्तर का पुन: अनुमोदन प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

(5)- प्रश्नगत प्रायोजना प्रस्ताव में 20366.10 घ0मी0 मिट्टी भराई की लागत रू0 81.29 लाख की धनराशि प्रस्तावित की गयी है। मिट्टी भराई हेतु जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट न होने के कारण फिलहाल एकमुश्त रू0 20.32 लाख की धनराशि अनुमन्य की गई है। अवशेष मिट्टी की लागत के सम्बन्ध में पूर्व में दिये गये दिशा- निर्देशों के आधार पर सुसंगत नियमों का पालन करते हुए सम्पूर्ण कार्यवाही की जायेगी। तदोपरान्त पृथक रूप से जिलाधिकारी कमेटी से मिट्टी भराई मद में प्राप्त रिपोर्ट पर प्रशासनिक विभाग सहमत होने के पश्चात मिट्टी भराई हेतु प्राविधानित धनराशि का परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराकर लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियन्ता (भवन) (सदस्य, व्यय वित्त समिति) का अनुमोदन प्राप्त करेंगे। मिट्टी भराई पर व्यय होने वाली उक्त धनराशि की सीमा तक प्रायोजना की लागत बढ़ी हुयी मानी जायेगी। उपरोक्तानुसार निर्धारित मिट्टी भराई मद में अपेक्षित धनराशि के फलस्वरूप बढ़ी हुयी लागत को पुनः व्यय वित्त समिति के समक्ष लाये जाने की आवश्यकता नहीं होगी।

(6)- कार्य की विशिष्टियां, मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी निदेशक, खेल की होगी तथा निदेशक, खेल यह सुनिश्चित करेंगें कि कार्य निर्धारित समयावधि में ही पूर्ण हो जायें।

(7)- स्वीकृत धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0/डिपाजिट खाते में नहीं रखी जायेगी। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य की सम्परीक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(8)- प्रभाग द्वारा लागत आंकलन प्रस्तावित मात्राओं को यथावत मानते हुए मात्र दरों का परीक्षण किया गया है। मात्राओं का निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण उत्तरदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, खेल का होगा।

(9)- प्रायोजना की लागत में टाइम ओवर रन/कास्ट ओवर रन न हो अतः इस सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों एवं बजट मैनुअल के प्रस्तर- 212(7) में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(10)- नियमानुसार लेबर सेस का भुगतान किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(11)- आगणन में प्रस्तावित कार्यों के अतिरिक्त अन्य कोई कार्य पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। अन्य शर्तें मूल शासनादेश दिनांक 05 नवम्बर, 2012 एवं तत्पश्चात निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुसार यथावत रहेंगी।

(12)- प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डूप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व निदेशक, खेल एंव कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा, कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(13)- भविष्य में प्रश्नगत योजना हेतु पुनरीक्षित लागत स्वीकृत नहीं की जायेगी।

2- उक्त मद पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या- 22 के लेखाशीर्षक- " 4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय-आयोजनागत-03-खेलकूद तथा युवा सेवा-800-अन्य व्यय-86-सैफई में स्टेडियमों का निर्माण-24-वृहद निर्माण कार्य " के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अर्द्धशा0 पंजी संख्या- ई-5-80/दस-2015, दिनांक 25 जनवरी, 2015 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

अनिल कुमार
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या- 3301(1)/बयालिस-2015-तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1)- महालेखाकार, उ0प्र0 (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(2)- महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0 इलाहाबाद।
(3)- कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
(4)- जिलाधिकारी, इटावा।
(5)- क्षेत्रीय क्रीड़ाधिकारी, कानपुर।
(6)- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम लि0, लखनऊ।
(7)- क्रीड़ाधिकारी, सैफई।
(8)- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग- 1/2
(9)- वित्त (व्यय नियमंत्रण) अनुभाग- 5
(10)- नियोजन अनुभाग- 4
(11)- गार्ड फाईल/कम्पयूटर प्रति।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in